"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 337] रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 अगस्त 2017—— श्रावण 11, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 अगस्त, 2017 (श्रावण 11, 1939)

क्रमांक-8084/वि. स./विधान/2017 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -3) विधेयक, 2017 (क्रमांक 17 सन् 2017) पुर:स्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 17 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2017

वित्तीय वर्ष 2017-2018 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्र.3) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए राज्य की संचित निधि में से 17,77,57,24,453 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2017 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए एक हजार सात सौ सतहत्तर करोड़ संतावन लाख चौबीस हजार चार सौ तिरपन मात्र रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं एवं प्रयोजनों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
.	भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	0	2,35,12,00,000	2,35,12,00,000
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	8,52,10,000	0	8,52,10,000
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	7,00,000	0	7,00,000
03	पुलिस	राजस्व	14,59,06,100	0	14,59,06,100
		पूंजी	5,60,95,830	0	5,60,95,830
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	8,85,00,000	0	8,85,00,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	21,00,000	0	21,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,63,00,000	0	1,63,00,000
		पूंजी	2,26,00,00,000	0	2,26,00,00,000
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	50,34,91,500	0	50,34,91,500
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	7,00,00,000	7,60,000	7,07,60,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	50,10,00,000	0	50,10,00,000
		पूंजी	51,40,26,024	0	51,40,26,024
13	कृषि	राजस्व	5,51,66,400	0	5,51,66,400
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,60,00,000	0	1,60,00,000
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	36,88,65,000	0	36,88,65,000
16	मछली पालन	पूंजी	8,68,35,000	0	8,68,35,000
18	श्रम	राजस्व	7,00,100	0	7,00,100
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	71,60,80,400	0	71,60,80,400
		पूंजी	100	0	100
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	10,000	0	10,000
		पूंजी	41,57,00,000	0	41,57,00,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	100	0	100
23	जल संसाधन विभाग	पूंजी	1,00,00,100	50,00,000	1,50,00,100
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	4,30,01,200	0	4,30,01,200
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	15,48,00,100	11,50,000	15,59,50,100
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	3,05,00,000	0	3,05,00,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	पूंजी	6,00,000	0	6,00,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	10,00,00,100	0	10,00,00,100
		पूंजी	37,50,00,100	0	37,50,00,100
34	समाज कल्याण	राजस्व	8,88,59,166	0	8,88,59,166

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
36	परिवहन	राजस्व	100	0	100
37	पर्यटन	राजस्व	1,51,57,000	0	1,51,57,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	81,58,17,000	0	81,58,17,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	1,51,00,78,800	0	1,51,00,78,800
		पूंजी	1,32,38,49,000	0	1,32,38,49,000
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल	पूंजी	11,50,00,200	0	11,50,00,200
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	0	16,06,000	16,06,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	10,00,000	0	10,00,000
47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	राजस्व	3,13,34,100	0	3,13,34,100
		पूंजी	67,32,199	0	67,32,199
53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	9,54,04,000	0	9,54,04,000
		पूंजी	19,00,00,000	0	19,00,00,000
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	राजस्व	100	0	100
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	16,00,00,100	0	16,00,00,100
		पूंजी	5,93,20,000	0	5,93,20,000
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राजस्व	35,00,00,000	0	35,00,00,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	36,93,98,318	0	36,93,98,318
		पूंजी	32,59,64,200	0	32,59,64,200
65	विमानन विभाग	पूंजी	100	0	100
66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	राजस्व	3,54,00,000	0	3,54,00,000
		पूंजी	100	0	100
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	200	0	200
		पूंजी	58,28,12,016	0	58,28,12,016
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	33,20,000	0	33,20,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	राजस्व	4,00,00,000	0	4,00,00,000
71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिक विभाग	राजस्व	39,00,000	0	39,00,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	6,29,90,400	0	6,29,90,400
		पूंजी	2,00,00,100	0	2,00,00,100
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	94,95,61,000	0	94,95,61,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	37,47,58,000	0	37,47,58,000
		पूंजी	1,06,31,25,100	0	1,06,31,25,100
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	20,56,39,000	0	20,56,39,000
	योग -	राजस्व	**7,96,46,26,984**	**2,35,47,16,000**	**10,31,93,42,984**
		पूंजी	**7,45,13,81,469**	**50,00,000**	**7,45,63,81,469**
	वृहद योग		**15,41,60,08,453**	**2,35,97,16,000**	**17,77,57,24,453**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 29 जुलाई, 2017

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.